

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10A, चतुर्थ माला,  
ब्लॉक-2, सी विंग, गांधीनगर  
ई-मेल: Gandhinagar.ibm@gmail.com  
सं. गुज/जूना/चू.प. - 65



GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF MINES  
INDIAN BUREAU OF MINES  
Office of Regional Controller of Mines  
Karmayogi Bhavan, 4<sup>th</sup> Floor, Block-2, Sector-10A,  
Gandhinagar-382010, Gujarat

पंजीकृत पत्र

उल्लंघन पत्र

दिनांक :22.08.2017

सेवा में : श्री अशोक बाबूलाल सिंधव  
हरी भवन, पहिला माला, एस. टी. रोड  
जिला -पोरबंदर-360575, गुजरात

विषय: गुजरात राज्य के पोरबंदर जिला में स्थित आपकी भोद चुना खान, सर्वे नंबर-358/P, क्षेत्रफल 16.18 हेक्टर में खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन। (Mine Code-38GUJ08027)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 03/07/2017 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
Rule 11(1)	<p><b><i>No holder of the mining lease shall commence or carry out mining operation in any area except in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines</i></b></p> <p>In your case it was observed during mine inspection that mining operations were being carried out without approved Mining Plan/Review &amp; updation of Mining Plan. Last Mining Scheme was approved vide this office letter No-682(23)(MS-341)/2009-MCCM(N)-UDI dated 19.06.2006 for 5 year period from 2006-07 and ended in the year 2010-11. After this no further Scheme of Mining/Mining Plan was submitted and mining operations and subsequent Limestone production was carried out without approved Mining Plan/Review of MP.</p>
Rule 27	<p><b><i>A financial assurance shall be furnished by the holder of the mining lease, for due and proper implementation of the progressive mine closure plan contained in MP/MS</i></b></p> <p>But, it is observed that the same has not been submitted to this for aforesaid mine</p>
Rule 45(5)(b) 45(5)(c)	<p>The holder of a mining lease shall submit online returns in respect of each mine to the Regional Controller of Mine or any other authorized officer of the Indian Bureau of Mines in the following manner-</p> <p>(a) A monthly Return which shall be submitted before the 10<sup>th</sup> of every month in respect of the preceding month in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form</p> <p>(b) An annual Return which shall be submitted before 1<sup>st</sup> day of July each year for the preceding financial year in electronic form, along with signed print copy of the same if it is digitally signed, in the respective Form</p> <p>But, it is observed that, you have not submitted Monthly Returns from April-2012 onwards and Annual Returns from 2012-13 onwards to this Regional office. Therefore, you are directed to submit aforesaid returns in online system immediately through <a href="http://www.ibm.gov.in/index.php/auth/login">www.ibm.gov.in/index.php/auth/login</a>.</p>

Rule 55(1)(c)(i)	A full time Mining Engineer and Geologist have not been appointed for the purpose of carrying out the mining operations in accordance with these rules
---------------------	--

02. इस संबंध में आपके ध्यान में लाया जाता है की उक्त उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 1988 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है |

03. इसके अतिरिक्त नियम 11(1) की पालना निर्धारित समयावधि में न होने पर नियम 11(2) के तहत खनन कार्य स्थगित किया जा सकता है एवं नियम 45(5)(b)(c) की पालना नहीं होने पर नियम 45(7)(a)(i) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है, आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है, खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है |

अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे |

भवदीय,

(संजय गिरहे)  
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर |
2. आयुक्त, भूविज्ञान व खनन विभाग, ब्लॉक-1, 7वां माला, उद्योग भवन, गांधीनगर (गुज.), को आवश्यक कार्यवाही करने एवं इस अनुरोध के साथ की खनन पट्टा धारक को खान से खनिज निकासी /निर्गम की अनुमति केवल वैध खनन योजना होने पर ही दे जाए।
3. सहायक भूविज्ञानी, भू-विज्ञान एवं खान विभाग, जिल्हा सेवा सदन-। पोरबंदर एयर पोर्ट एरिया, पोरबंदर, गुजरात - 360577
4. रक्षित पत्रावली |

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो